p; Need to change in guidelines of the Mahatma Gandhi National Employment Guarantree Scheme works in the labour-material ratio from present 60:40 to 50:50.

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) ः मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) से संबंधित तथ्य रखकर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

वर्ष 2015-16 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कुल बजट का 60 प्रतिशत व्यय कृषि कार्यों एवं जल संरक्षण के साधन बनाने पर होगा। इनमें खेतों में तलाई, टांका, डिग्गी निर्माण, खेतों की मेड़ बन्दी, पशुओं के लिए चारागृह, शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों को रखने के लिए शीतगृह आदि बनाये जाने का प्रावधान रखा गया है। इस हेतु सरकार बधाई की पात्र है। पंचायत समितियों के सदस्यों, सरपंचों एवं जिला परिषद की बैठकों में ज्ञात हुआ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की गाइडलाइन्स में दो बिन्दुओं में संशोधन की अति आवश्यकता है। प्रथम, मजदूरी एवं सामग्री अनुपात वर्तमान में 60 ः 40 को 50 ः 50 किया जाए, क्योंकि सामग्री पर पक्के एवं स्थाई कार्यों पर खर्चा अधिक आता है। दूसरे, राजस्थान में जोत की सीमा अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है जबकि इस योजना में वहीं काश्तकार लाभ उठा सकते हैं जो लघु एवं सीमान्त काश्तकार हों, उनमें भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। इससे मध्यमवर्गीय काश्तकार वंचित रह जाते हैं। खेतों में तलाई निर्माण, शीत भण्डार आदि वही काश्तकार बनाते हैं जिनके पास जोत सीमा सीमान्त काश्तकार से ज्यादा होती है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सीमान्त काश्तकारों की सीमा से दुगुनी जमीन वालों को भी इसका लाभ दिया जाए। साथ ही सामग्री एवं मजदूरी का अनुपात भी 50 ः 50 रखा जाए।